(c) The proposal was included amongst the additional proposals on electoral reforms for being discussed with leaders of political partes. Some of the said proposals including this proposal, however, could not be discussed despite three rounds of discussions with leaders of political parties. The matter is under consideration and a Bill to give effect to the package of Electoral Reforms is liekly to be introduced in the current session of Parliament.

Committee to Iodic into Central and State Legislations

2303. SHRI SOM PAL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

-j (a) whether it is a fact that Government have set up a Group or Committee to go into the whole gamut of Central and State Legislations;

(b) if so, What are the terms of re-ference of this Group/ Committee;

(c) whether any interim recom-mendations or observations have been made by the Group/Committee;

(d) if so, what are the details there-of;

(e) what is the total number of existing laws and the list thereof; and

(f) by when the Group/Committee «is supposed to submit its final re port?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) Yes, Sir, but only . for the Central laws,

(b) The terms of reference of the ; Expert Group will be as follows—

(i) Indentification of laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed;

(ii) Identification of laws which are in harmony with the existing climate of ecokiomic liberalization which need no change;

(iii) Identification of laws which require changes or amendments and suggestions for amendments; and

(iv) Revision of fules, regul/a-tions, orders and notifications, etc.

(c) No, Sir,

(d) In view of the answer to (c), this does not arise.

(e) Total number of existing laws is 1069. The list of Central Acts will be laid on the Table of the House.

(f) In three months time.

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रिक्त पद

2304.**श्री रामगोपाल यादव**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है जहां मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त हैं;

(ख) देश के किन-किन उच्च न्यायालयों में कितने-कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और इन रिक्तियों के क्या न्यायिक कार्य अब तक किस हद तक प्रभावित हुआ हैं;और

(ग) सरकार उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कब तक करेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामाकान्त डी.खलप): (क) कलकत्ता,गुजरात और सिक्किम के उच्च न्यायालयों में 1-8-1997 को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति थे।

(ख) उच्च न्यायालयवार,न्यायाधीशों की रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण संसद कि पटल पर रख दिया गया हैं ।(नीचे देखिए)

(ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श अंतर्विष्ट हैं । उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों का विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है

विवरण

क्रम स.	उच्च न्यायालय	तारीख 1-8-97 को न्यायाधीशों की रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	12
2.	आन्ध्र प्रदेश	1
3.	मुम्बई	9
4.	कलकत्ता	11
5.	दिल्ली	3
6.	गौहाटी	1
7.	गुजरात	7
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	मद्रास	2
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	6
16.	पंजाब और हरियाणा	6
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	2
	योग	77*

*न्यायाधीशें की नियुक्ति के लिए 27प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

पुराने मुकदमों का निपटारा

2305.**श्री ईश दत्त यादव**:

श्री नागमणि:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्याय की वर्तमान प्रणाली के कारण 20 साल से पुराने मुकदमों का फैसला अब तक नहीं हो पाया है;

(ख) सरकार द्वारा मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है,यदि हां,तो उन बाधाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी.खलप): (क) मामलों का लंबित होना विभिन्न जटिल उपाद्यनों के कारण हैं,जिसके अंतर्गत संस्थित किए जाने वाले मामलों में वृद्वि,जनसंख्या में भारी वृद्वि,आम्थगनों को मंजूर किया जाना,मुकदमेबाजी के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन,लंबे तर्क-वितर्क और वकीलों की हड़ताल आदि हैं ।

(ख) और (ग) प्रक्रियात्मक विधियों में संशोधन करने के अतिरिक्त सरकार ने समय-समय पर विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में प्रयास किए हैं । विधि मंत्रियों,मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्याय-मूर्तियों तथा न्याय प्रशासन से संबद्व अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन कालिकत: आयोजित किए जाते हैं और ऐसे विचार विनियम तथा परामर्शो से प्रोदभूत सिफारिशों और निष्कर्षो को कार्यान्वित किया जाता है तथा उनकी प्रगत निकट रूप से मानिटर की जाती हैं ।